उत्तर प्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2
संख्या-43/2020/632/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016
लखनऊ: दिनांक : 11 दिसम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

अवगत ही हैं कि शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित ई-मार्केट प्लेस (जेम) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है एवं जेम पर सामग्री/सेवाओं के क्रय में शासकीय विभागों को आ कठिनाइयों के निराकरण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-19/2017/836/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 28 नवम्बर, 2017 द्वारा एक सेल का गठन किया गया है। चूंकि जेम पोर्टल पर पंजीकरण अथवा क्रय के संबंध में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश GOTT-PMU का गठन कर दिया गया है। अत: समस्त क्रय प्रक्रिया संबंधी कार्यों को जेम सेल के अधीन करते हुये जेम सेल द्वारा निम्नवत कार्य निष्पादित किये जायेंगे।

(1) प्रदेश में जेम के अनुपालन के संबंध में पाक्षिक आख्या प्राप्त करना, जिसमें जेम प्रक्रिया में वेण्डर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का स्टेटस (कितने प्रार्थना पत्र आये तथा कितने रजिस्टर्ड हुये एवं शेष किन कारणों से लम्बित हैं)।

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रख्यापित व जेम सहित प्रचलित अन्य क्रय नियमों के अन्तर्गत अभिमत उपलब्ध कराया जाना व नियमों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग तथा शासन के स्तर से विभन्न विभागों को निर्देश निर्गत करना व विभिन्न विभागों द्वारा क्रय की जा रही सामग्री की व्यवस्था का परीक्षण कर शासन को मासिक टिप्पणी प्रस्तुत करना कि किस विभाग द्वारा कितने प्रतिशत सामग्री जेम से क्रय की जा रही है तथा जेम से सामग्री व सेवायें क्रय करने में विभागों को क्या समस्यायें आ रही हैं।

(3) क्रेता विभागों की तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु फील्ड स्तर पर सहायता करना।

(4) क्रेता विभागों/विक्रेता फर्मों/संस्थाओं की पोर्टल संबंधित समस्याओं का कार्यालय स्तर पर निराकरण करना।

(5) विभागों के स्तर पर क्रय प्रक्रिया से संबंधित होने वाली विभिन्न बैठकों में नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिभाग करना।

(6) जेम पोर्टल से सामग्री/सेवाओं के क्रय के उपरान्त विभिन्न विभागों पर लम्बित भुगतान के संबंध में प्रचलित शासनादेशों के अनुपालन हेतु संबंधित विभाग को आयुक्त एवं निदेशक के स्तर से निर्देशित करना तथा अनुपालन सुनिश्चित कराना।

(7) राज्य सरकार द्वारा क्रय प्रक्रिया से संबंधित निर्गत शासनादेशों दी गयी व्यवस्था को पोर्टल पर समायोजित करने हेतु जेम, भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।

(8) जेम पोर्टल पर क्रेता विभाग द्वारा अपलोड की गयी प्रत्येक निविदा का जेम के नियमों के अन्तर्गत परीक्षण एवं विचलन पाये जाने पर कारण सहित निविदा के निरस्तीकरण हेतु शासन व संबंधित विभाग को सूचित करना।

(9) तकनीकी निविदा में अनर्ह घोषित फर्मों के संबंध में जांच/निष्कर्ष, क्या तकनीकी रूप से अनर्ह घोषित फर्मो के सामने दर्शाये गये कारण सही हैं या गलत।

(10) निविदा में दी गयी ई0एम0डी0 धनराशि के संबंध में परीक्षण।

(11) पोर्टल पर अपलोड की गयी निविदाओं की श्रेणी का परीक्षण व इस विषय में जांच कि क्रेता विभाग द्वारा निविदा का विभक्तीकरण तो नहीं किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) यदि किसी प्रकरण में मैनुअली एल-1 का चयन किया गया है अथवा कोई अनियमितता दृष्टिगोचर होती है तो संबंधित यूजर को डिबार किये जाने एवं संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही हेतु पूर्ण विवरण सहित शासन को सूचित करना।

(13) शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

2- जेम सेल के गठन विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-19/2017/836/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को एतद्द्वारा उक्तानुसार संशोधित किया जाता है।

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों/संस्थानों/निगमों/उपक्रमों के संबंधित अधिकारियों को उक्तानुसार सूचित करने का कष्ट करें।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
5- प्रभारी, जेम सेल, लखनऊ।

आज्ञा से

प्रदीप कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।